परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजन	प्रदेश के कृषकों का दिनांक 30.11.2018 तक व प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी की जायेगी	15000000	लगभग 15,00,000 कृषकों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया जायेगा	
2	मूल्य समर्थन योजना में दलहन एवं तिलहन खरीदी	मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रदेश में चना उपार्जन किया जायेगा ।	71200	लगभग 1,00,000 कृषकों से समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन किया जायेगा	
3	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु अनुदान	प्रदेश के कृषकों को कृषि कार्य हेतु ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने से समितियों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता।	1842600	लगभग 11,00,000 कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकाली कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	
4	राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का सहकारी बैंकों में विलय	योजनान्तर्गत प्रदेश के राज्य सहकारी विकास बैंक तथा 12 जिला सहकारी विकास बैंकों का विलय क्रमशः राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किया गया है । विलय किये जाने से बैंकों की संचित हानि एवं प्रावधान में कमी की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुस राज्य द्वारा वहन किया जाना है।	50000	यह राशि 05 सहकारी बैंकों को प्रदाय की जायेगी	
5	सहकारी शक्कर कारखाना	सहकारी शक्कर कारखानों को व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना ।	500000	04 सहकारी शक्कर कारखाना को गन्ना पेराई कार्य हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	
6	सहकारी समितियों के लिए अंशपूंजी	सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, सहकारी शक्कर कारखाना, विपणन समितियां, आदि को उनकी अंशपूंजी में धनवेष्ठन कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	63800	**1.** 01 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु **2.** 300 कृषि साख सहकारी समितियों हेतु **3.** 06 विपणन सहकारी समितियों हेत अंशपूजी में धनवेष्ठन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी	

परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
7	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियें का कम्प्यूटरीकरण	भारत सरकार, राज्य सरकार की सहायता से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	40000	लगभग 400 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा	
8	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण	विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न व्यवसाय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	9000	इस योजना के द्वारा 06 विपणन सहकारी समितियों क उनकी विभिन्न व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।	
9	सहकारी समितियों में अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के सदस्य बनाने के लिये अंश क्रय हेतु अनुदान	सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को सदस्य बनाने के लिए अंशक्रय हेतु अनुदान ।	5500	इस योजना के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं विपणन सहकारी समितियों में 11,000 सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग क लोगों को सदस्य बनाया जावेगा ।	
10	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियें को बहुद्देशीय समितियों में उन्नयन	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में उन्नयन करना ।	5000	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप उपभोक्ता सामाग्री का विक्रय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।	
11	जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनकी होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराना ।	2000	लगभग 200 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनकी व्यवसाय में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा ।	